5

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (जिला श्रीगंगानगर)

पीठासीन अधिकारीः—कन्हैयालाल सोनगरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या—72/2022 दायरा दिनांक 30.05.2022 GCMS CASE NO-2022/72

ओमप्रकाश पि0मु0 श्रीमती धापीदेवी जाति कुम्हार साकिन बाबा रामदेव रोड सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़

—अपीलांटस

बनाम

1. लक्ष्मण शर्मा पुत्र छोगाराम जाति ब्राहमण साकिन सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़
2. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़

—रेस्पोडेंटगण

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः—

1. श्री धर्मपाल सिहाग, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रामप्रताप तिवाडी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1
3. पैरोकार राज, रेस्पोडेंट संख्या 2

—:: निर्णय ::— दिनांक : 23.12.2024

अपीलांटस ने यह अपील पेश कर निवेदन किया है कि रोही सूरतगढ के खसरा न. 485/19 की 6.325 है0 भूमि अपीलांट की माता धापा देवी पत्नी नानूराम को टीसी आवंटन थी। अपीलांट की माता की मृत्यु पश्चात विधिक वारिस होने के नाते उक्त रकबा अपीलांट के नाम से टीसी दर्ज हुआ। जैर प्रकरण भूमि पर अपीलांट की माता के जीवनकाल में माता का व उनकी मृत्यु के पश्चात उनके विधिक वारिस यानि मुझ अपीलांट का कब्जा काश्त बदस्तुर चला आ रहा है। अपीलांट ने अपने रकबा के चारों ओर पिल्लर व कंटीली तार लगा कर अलग से सीवं बना रखी है। जैर अपील भूमि पर पूर्व में भू—माफिया द्वारा अतिक्रमण करने का प्रयास करने पर अपीलांट द्वारा माननीय सिविल न्यायालय सूरतगढ़ में वाद संख्या 13/21 बअनवान ओम प्रकाश बनाम भागीरथ व अन्य पेश किया जिसमें माननीय सिविल न्यायालय द्वारा कमिश्नर नियुक्त करके मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। कमीश्नर रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 27.07.2021 को मौका की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश जारी किये। कमीश्नर रिपोर्ट में मौके पर पिल्लर अपीलांट के लगे हुए एवं फोटो सहित कमीश्नर रिपोर्ट के साथ माननीय न्यायाल में पेश हुए जो संलग्न अपील है। अपीलांट की उक्त भूमि के पास ही राजस्थान राज्य भारत स्काऊट गाईड स्थानीय संघ को कलक्टर श्रीगंगानगर द्वारा भूमि आवंटित होने पर अपीलांट के कब्जा से अधिक भूमि का कब्जा लेने के सबंध में दिनांक 12.06.2011 को समझौता पत्र निष्पादित हुआ। उक्त समझौता अनुसार अपीलांट द्वारा मुख्य बीकानेर रोड पर अपने कब्जे से अधिक भूमि जो पीछे की तरफ थी को स्काऊट गाईड को दिया गया। अपीलांट का आवंटन अनुसार पूर्व में अपीलांट की माता धापा देवी का एवं बाद में अपीलांट का कब्जा काश्त मुख्य बीकानेर सूरतगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुल 1360 फुट भूमि में से 165 फुट भूमि टिड्डी नियंत्रण दल की मुख्य सडक पर है। भूमि टिड्डी दल के उतर व दक्षिण तथा पश्चिम दिशा में है। सडक पर कुल 1545 फुट है जिसमें टिड्डी दल का ऑफिस 165 फुट मुख्य राजमार्ग पर है तथा 20 फुट की सडक है जो नक्शें में बनी हुई है शेष रकबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग पर है अपीलांट का कब्जा बदस्तुर चला रहा रहा है। रेस्पोडेंट संख्या 01 के मामा रेडाराम पुत्र छोगाराम के नाम खसरा न. 485/19 में 25.00 बीघा टीसी आवंटन थी। रेडाराम की मृत्यु वर्ष 1982 में हो चुकी थी। परन्तु रकबा राज भी रेडाराम के नाम चला आ रहा है। रेडाराम का टीसी आवंटन पश्चात कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा। तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा दिनांक 31.08.2008 को रेडाराम का उक्त टीसी आवंटन खारिज कर दिया गया। जिसकी [illegible] इस न्यायालय [illegible] संख्या 01 ने रेडाराम का भान्जा बनकर पेश की हुई है। जिसमें इस न्यायालय द्वारा [illegible] .2019 को इस आदेश के साथ स्वीकार की गई है कि चूंकि आ[illegible] 10.05.1982 को हो चुका है। व नगरपालिका सूरतगढ़ द्वारा लक्ष्मण [illegible] वारिस मान[illegible] पत्र जारी [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2025.01.03 11:54:44 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

6

5। अतः अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि आवंटी रेडाराम के वारिसान की जांच कर उक्त टीसी का अंकन नियमानुसार आवंटी के वारिसान के नाम से दर्ज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक वारिसान व बिना जांच किये रकबा रेस्पोडेंट संख्या 01 के नाम दर्ज कर दिया गया। तहसीलदार सूरतगढ़ से मिलीभगत कर खातेदारी प्रस्ताव तैयार करने के आदेश की आड में मृतक रेडाराम की भूमि की तरमीम अपीलांट के कब्जे काश्त की भूमि पर कर हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 28.10.2021 नक्शा कि प्रमाणित प्रति लगाकर खातेदारी की अनुशंसा करते हुए पत्रावली जिला कलक्टर को भिजवा दी। उक्त तरमीम किसी सक्षम अधिकारी के आदेशो द्वारा नही की गई। हल्का पटवारी व आईएलआर द्वारा अपने लाभ के लिए एवं रेस्पोडेंट को फायदा पहुंचाने के लिए मुझ अपीलांट की भूमि पर तरमीम कर दी। उक्त तरमीम के निचे हस्ताक्षर पटवारी, हस्ताक्षर आईएलआर की कोई दिनांक अंकित नही है कि उक्त तरमीम कब की गई। इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 06.11.2019 की अपील नगरपालिका सूरतगढ़ द्वारा श्रीमान संभागीय आयुक्त बीकानेर को प्रस्तुत की हुई थी जिसका निर्णय दिनांक 28.01.2022 को हुआ है। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय को भी पक्षकार बनाया हुआ था। अपील के जैरकार रहते हुए खातेदारी प्रस्ताव तेयार कर खातेदारी की अनुशंसा करते हुए पत्रावली जिला कलक्टर को भिजवा दी गई। राजस्थान भू अभिलेख नियम 1958 के नियम 59 व 60 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 1 व 11 सीपीसी की धारा 15 के अन्तर्गत निहित विधि अनुसार जहां विवाद ना हो वहां तहसीलदार द्वारा अन्यथा (भू-अभिलेख अधिकारी) अर्थात उपखण्ड़ अधिकारी द्वारा रकबा तरमीम किया जावेगा। अधीनस्थ आईएलआर पटवारी हल्का द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर विधि विरूद्व तरीके से तरमीम की है जो प्रथम दृष्टया काबिल निरस्ती है। खातेदारी प्रस्ताव तैयार करने की आड में अपीलांट के कब्जा के रकबा पर रेस्पोडेंट संख्या 01 के नाम की गई तरमीम अपीलांट को बिना सुने बिना सूचना नोटिस दिये बिना मौका निरीक्षण किये अपने ही कयासो के अधार पर रेस्पोडेंट संख्या 01 का कब्जा काश्त दिखा कर कर दी गई जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतों के विरूद्व व न्याय की हत्या है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलांट के कब्जा काश्त में की गई तरमीम को निरस्त फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंटगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मपाल सिहाग उपस्थित हुए। रेस्पोडेंट संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री रामप्रताप तिवाडी एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 पैरोकार राज हाजिर आये। प्रकरण में बहस उभय पक्ष सुनी गई।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि जैर अपील रकबा अपीलांट का टीसी आवंटित रकबा है। खातेदारी प्रस्ताव तैयार करने की आड में अपीलांट के कब्जा काश्त में रेस्पोडेंट संख्या 01 की तरमीम कर दी। उक्त तरमीम अपीलांट को बिना कोई सूचना दिये एवं बिना सुने एकतरफा तौर पर अपीलांट की पीठ पीछे की गई है। जैर अपील रकबा अपीलांट को टीसी आवंटन होने एवं रकबा पर अपीलांट का कब्जा काश्त होने से अपीलांट का हित निहित है एवं अपीलांट प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपील अनुमति प्रदान करे।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र पर का खण्डन करते हुए दौराने बहस प्रार्थना पत्र कथन किया कि जैर प्रकरण भूमि धापा देवी को टीसी आवंटन हुई। अपीलांट स्वयं धापा देवी का दत्तक पुत्र बता रहे है जबकि दत्तक पुत्र होने संबंधी कोई दस्तावेजात पेश नहीं किये गये है। आवंटी धापा देवी का टीसी आवंटन भी अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा दिनांक 23.3.2011 को खारिज किया जा चुका है। जैर प्रकरण भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त भी नहीं है। इस प्रकार अपीलांट को अबयह अपील पेश करने का अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी खारिज किया जाकर अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जावे।

रेस्पोडेंट संख्या 02 पैरोकार राज ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र किसी तरह की कोई आपत्ति जाहिर नहीं की।

पत्रावली का अवलोकन किया। जैर प्रकरण रकबा अपीलांट की माता धापादेवी को राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्ते 1955 के तहत टीसी आवंटन हुआ था। मूल आवंटी धापा की मृत्यु होने के उपरांत अपीलांट [illegible] है, जो आलौच्य आदेश से सीधे-सीधे व्यथित है एवं प्रकरण में प्रभावित पक्षकार [illegible] अपीलांट अपील पेश करने के कानूनी अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा [illegible] स्वीकार किया जाकर अपीलांट को अपील अनुमति प्रदान की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2025.01.03 11:54:44 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

तत्पश्चात प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश अपीलांट को विधिवत सुने बिना ही एक पक्षीय पारित किया है। उक्त तरमीम से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस नही दिया गया तथा ना ही मौका निरीक्षण किया गया। अपने ही कयासो के आधार पर कब्जा दिखाकर उक्त तरमीम रेस्पोडेंट संख्या 01 के नाम से कर दी गई। अपीलांट जब अपने कब्जा काश्त रकबा में निराई गुडाई कर रहा तथा तब रेस्पोडेंट संख्या 01 वहां आया और ऐलानिया धमकी दी की उक्त रकबा की तरमीम हमने अपने नाम से करवा ली। तब तहसील कार्यालय में पता किया व तहसीलदार साहब के समक्ष दिनांक 25.04.2022 को नकल प्रार्थना पत्र पेश किया। तहसीलदार सूरतगढ द्वारा दिनांक 18.052022 को यह अंकन करते हुए प्रार्थना खारिज कर दिया कि तरमीम का कोई आदेश तहसील कार्यालय से जारी नही किय गया है। इसलिए उक्त नकल खारिजी आदेश को आधार मानकर अन्दर मियाद यह अपील पेश की गई है। अपीलांट द्वारा जान बूझकर अपील देरी से पेश नही की गई है। जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान नही किया तथा एकतरफा तौर पर जैर अपील आदेश पारित कर दिया। अतः प्रार्थनापत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार करते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावें।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 1 ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलांट को जैर अपील आदेश की भली–भांती जानकारी थी। अपीलांट द्वारा जानबूझ कर देरी से यह अपील पेश की गई है। प्रार्थना पत्र में अंकित देरी का कारण सन्तोष जनक नहीं है। अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद खारिज किया जाकर अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जावे।

रेस्पोडेंट संख्या 2 पैरोकार राज ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि अपीलांट्स को विधिवत रूप से सुना नही गया है। अपीलांट्स ने प्रार्थना पत्र में देरी का जो कारण बताया है वह भी संतोष जनक है। प्रकरण में कानूनी बिन्दु निहित है। इसलिए हम हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिन्दुओं के आधार पर करने की बजाय गुणावगुण पर करना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित समझते है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

तत्पश्चात गुणावगुण पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने दौराने बहस कथन किया कि अपील मीमों में अंकित तथ्य ही मेरी बहस है। अतः अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील तरमीम आदेश निरस्त किया जावे।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 1 ने दौराने बहस कथन किया कि हस्तगत अपील किस आदेश के विरूद्व पेश की है, यह स्पष्ट नहीं है एवं अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति भी पेश नहीं की गई है, जबकि अपीलीय न्यायालय में अपील के साथ अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति पेश करना आवश्यक है। जैर अपील रकबा धापा देवी आवंटी की टीसी आवंटन था जो दिनांक 23.03.2011 को तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा खारिज किया जा चुका है। तहसीलदार सूरतगढ़ के उक्त निर्णय दिनांक 23.03.2011 के विरूद्व ओमप्रकाश द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी पेश की गई। उक्त निगरानी जिला कलक्टर श्रीगंगानगर को उक्त प्रतिप्रेषित की गई। उक्त निर्णय में भी टीसी खारिज करने अथवा रखे जाने संबंधी किसी तरह का कोई आदेश पारित नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त अपीलांट द्वारा माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश सूरतगढ़ में एक वाद पत्र ओम प्रकाश बनाम भागीरथ आदि पेश किया जिसमें वादी ओमप्रकाश द्वारा मौका कमीशनर हेतु प्रार्थना पत्र पेश करने पर माननीय न्यायालय द्वारा कमीशनर रिपोर्ट मंगवाई गई। न्यायालय द्वारा नियुक्त मौका कमीशनर द्वारा सही रिपोर्ट माननीय न्यायालय में पेश नही की गई। क्योंकि दौराने मौका जांच खसरा निर्धारण हेतु ना तो भू–धारक तहसीलदार सूरतगढ़ मौजूद थे ना ही पटवारी हल्का एव ना ही गिरदावर मौजूद थे। वादी ओम प्रकाश द्वारा महज अपना हित साधने हेतु अपने ही व्यक्ति को प्रतिवादीगण बनाकर उक्त वाद पत्र दायर किया जिसमें अपने विरूद्व निर्णय आने की संभावना को देखते हुए बाद में वादी द्वारा अपना वाद पत्र विड्रॉ कर लिया गया। जैर अपील रकबा पर मुझ रेस्पोडेंट [illegible] का कब्जा काश्त है। अपीलांट का जैर अपील रकबा पर किसी तरह का कोई हक हकूक [illegible] कब्जा काश्त नहीं है। अपीलाधीन तरमीम नियमानुसार की गई है, जिसे यथावत रखते हुए अ[illegible] की अपील निरस्त की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2025.01.03 11:54:44 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

8

रेस्पोडेंट संख्या 2 पैरोकार राज दौराने बहस राज्य हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय पारित करने हेतु निवेदन किया।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया। प्रकरण में जैर अपील तरमीम एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुने एवं बिना मौका निरीक्षण किए की गई है, जो हमारी राय मे विधि सम्मत नहीं है। इसलिए रोही कस्बा सूरतगढ़ के ख.न. 485/19 की तरमीम कर बनाये गये नये ख.न. 485/19 मिन 3 की तरमीम निरस्त करना हम उचित समझते है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा रोही सूरतगढ़ के राजस्व नक्शा में खसरा न. 485/19 की तरमीम कर बनाये गये नये खसरा 485/19 मीन 3 की तरमीम निरस्त की जाती है एवं तहसीलदार सूरतगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि अपीलांट के कब्जा काश्त अनुसार तरमीम कर उसी अनुसार नक्शें में अंकन करे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कन्हैया लाल सोनगरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2025.01.03 11:54:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner